रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 फरवरी, 1985/13 माघ, 1906 शक

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 फरवरी, 1985

Published in 1984's Supplement

क्रमांक एल0एल0आर0-डी0 (6) 32/84.—हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 23) जैसा कि राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत दिनांक 3 दिसम्बर, 1984 को अनुमोदित किया गया, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) द्वारा अपेक्षित उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ

288-राजपत्र/85-2-2-85—1,200.

मूल्य: 20 पैसे।

सहित एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 1984 का अधिनियम संख्यांक 30 के रूप में प्रकाशित किया जाता है ।

के0 सी0 सूद,
सचिव ।

1984 का अधिनियम संख्यांक 30.

हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम, 1984

(राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर, 1984 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रभावकारी अग्नि शमन सेवा के अनुरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम, 1984 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह राज्य में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषाएं।

(क) "निदेशक" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त निदेशक, अग्नि शमन सेवा अभिप्रेत है ;

(ख) "अग्नि शमन सम्पति" के अन्तर्गत निम्नलिखित है—

(i) दमकल केन्द्र के रूप में प्रयुक्त भूमि और भवन ;

(ii) अग्नि शमन इंजन, उपस्कर, औज़ार, उपकरण और अग्नि शमन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अन्य वस्तुएं ;

(iii) अग्नि शमन के सम्बन्ध में प्रयोग किए जाने वाले मोटर-यान या परिवहन के अन्य साधन ; और

(iv) वर्दियां और रैंक के बैज ;

(ग) "दमकल केन्द्र" से निदेशक द्वारा साधारण या विशेष रूप से दमकल केन्द्र के रूप में घोषित कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है ;

(घ) "सेवा" से इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा अभिप्रेत है ;

(ङ) "दमकल केन्द्र का प्रभारी अधिकारी" से दमकल केन्द्र, उप-दमकल केन्द्र या अग्नि शमन चौकी का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे का और यथास्थिति, उस दमकल केन्द्र, उप-दमकल केन्द्र या अग्नि शमन चौकी में उपस्थित अग्नि शमन अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(छ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

अग्नि शमन सेवा का अनुरक्षण

अग्नि शमन सेवा का अनुरक्षण ।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य के उन क्षेत्रों में जहां पर यह अधिनियम प्रवृत्त है, राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा कहलाई जाने वाली अग्नि शमन सेवा का अनुरक्षण किया जायेगा ।

अग्नि शमन सेवा के निदेशक की नियुक्ति ।

4. राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अग्नि शमन सेवा का निदेशक नियुक्त करेगी ।

सेवा का अधीक्षण और नियंत्रण ।

5. (1) सेवा का अधीक्षण और नियन्त्रण निदेशक में निहित होगा और वह इसका निष्पादन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार करेगा ।

(2) राज्य सरकार निदेशक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे अधिकारी, जैसे वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी ।

सेवा के सदस्यों की नियुक्ति ।

6. निदेशक या सेवा का ऐसा अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सेवा के सदस्य नियुक्त करेगा ।

सहायक अग्नि शमन सेवा ।

7. जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अग्नि शमन सेवाओं का संवर्धन करना आवश्यक है, तो वह ऐसी संख्या में और ऐसे क्षेत्रों में, जैसा कि वह उचित समझे, और ऐसी शर्तों पर जैसी विहित की जाएं, स्वयं सेवकों की भर्ती करके उनको प्रशिक्षण देकर सहायक अग्नि शमन सेवा बना सकती है ।

आग लगने पर सेवा के सदस्यों की शक्तियां ।

8. ऐसे किसी क्षेत्र में, जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है, आग लगने पर अग्नि शमन सेवा का कोई सदस्य, जो अग्नि शमन सेवा संक्रिया का मौके पर प्रभारी है —

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो अपनी उपस्थिति से आग बुझाने के कार्य में या जान व माल को बचाने में दखल देता है या रुकावट डालता है, वहां से हटा सकेगा या सेवा के किसी अन्य सदस्य को ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाने का आदेश दे सकेगा ;

(ख) किसी ऐसे मार्ग या रास्ते को जिस में या जिस के निकट आग लगी हो, बन्द कर सकेगा ;

(ग) आग बुझाने के प्रयोजन के लिए हौज, नली या साधित्र ले जाने के लिए यथासंभव कम से कम नुकसान पहुंचा कर किसी परिसर को तोड़ या तुड़वा कर घुस सकता है, या गिरा या गिरवा सकता है;

(घ) आग बुझाने या उसके फैलाव को कम करने के प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र के जल-आपूर्ति के प्रभारी अधिकारी से पानी के मुख्य नल को, विनियमित

करने की अपेक्षा कर सकेगा जिससे उस स्थान पर जहां आग लग गई हो विनिर्दिष्ट दबाव पर पानी की व्यवस्था की जा सके और इस प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक या प्राईवेट स्त्रोत, टंकी, कुएं या तालाब या पानी के अन्य उपलब्ध स्त्रोत से पानी का उपयोग कर सकेगा;

(ङ) अग्नि शमन सेवा कार्यों में बाधा डालने वाले सम्भावित व्यक्तियों के जमाव को तितर-बितर करने के लिए वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा मानो वह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी हो और यदि ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव है तो वह वैसी ही छूट एवं संरक्षण का हकदार होगा जैसा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी होता है ; और

(च) साधारणतया ऐसे उपाय कर सकेगा जो उस क्षेत्र में आग बुझाने के लिए अथवा जान व माल की सुरक्षा के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

निवारक उपाय ।

9. (1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र में परिसरों या किसी वर्ग के परिसरों के जो ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं जो इसकी राय में आग का खतरा पैदा कर सकते हैं, स्वामियों अथवा अधिभोगियों से ऐसी सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।

(2) जहां उप-धारा (1) के अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी की गई हो वहां निदेशक, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सेवा के किसी अधिकारी के लिये विधि-सम्मत होगा कि वह आग का खतरा पैदा करने वाले संभावित पदार्थों अथवा वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाने का निदेश दे और स्वामी या अधिभोगी द्वारा ऐसा न करने पर निदेशक अथवा ऐसा अधिकारी, स्वामी या अधिभोगी को अभ्यावेदन देने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे पदार्थों अथवा वस्तुओं को जब्त, निरुद्ध या हटा सकेगा ।

शास्तियां

कर्तव्य आदि के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

10. सेवा का कोई सदस्य जो—

(क) अपने कर्तव्य का उल्लंघन करने या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेशों के किसी उपबन्ध को जान-बूझकर भंग करने का दोषी पाया जाएगा; या

(ख) भीरुता का दोषी पाया जाएगा; या

(ग) अनुज्ञा के बिना या कम से कम दो मास का पूर्व नोटिस दिये बिना अपने कार्यालय के कर्त्तव्यों से हट जाएगा; या

(घ) छुट्टी पर होने के कारण बिना उपयुक्त कारण से ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर ड्युटी पर उपस्थित होने में असफल रहेगा; या

(ङ) अनुज्ञा के बिना कोई अन्य नियोजन या पद स्वीकार करेगा

वह कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो ऐसे व्यक्ति के तीन मास के वेतन से अधिक का न हो, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अग्निशमन कार्यों में जान-बूझकर बाधा डालना।

11. कोई व्यक्ति जो सेवा के किसी ऐसे सदस्य के कार्य में जो अग्निशमन कार्यों में कार्यरत हो बाधा डालेगा या हस्ताक्षेप करेगा या धारा 14 के अधीन सूचना देने में उपेक्षा करेगा वह ऐसे कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से अधिक का नहीं होगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

मिथ्या रिपोर्ट ।

12. कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर आग लगने की मिथ्या रिपोर्ट, अपने कथन, संदेश द्वारा या अन्यथा ऐसे व्यक्ति को देगा या दिलवाएगा जो ऐसी रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिये अधिकृत हो वह सादा कारावास से जो दो मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

साधारण और प्रकीर्ण

अन्य कर्तव्यों पर नियोजन ।

13. राज्य सरकार या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह सेवा के सदस्यों को किसी ऐसे बचाव या अन्य कार्य के लिये, जिसके लिये वह अपने प्रशिक्षण, उपकरणों तथा उपस्करों के कारण योग्य हो, नियोजित करें ।

जानकारी प्राप्त करने की शक्ति ।

14. सेवा का कोई अधिकारी, जो किसी अग्नि शमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो, अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन के लिए किसी भवन या अन्य सम्पति के स्वामी या अधिभोगी से ऐसे भवन या अन्य सम्पत्ति के स्वरूप उपलब्ध जल-आपूर्ति तथा उस तक पहुंच के साधन तथा अन्य तात्विक विशिष्टियों, की जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा स्वामी या अधिभोगी, वह सभी जानकारी जो उसके पास हो, देगा ।

प्रवेश की शक्ति ।

15. निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सेवा का कोई सदस्य किसी ऐसे स्थान में जो धारा 9 के अन्तर्गत जारी किसी अधिसूचना में निर्दिष्ट है यह जानने के लिये कि क्या अग्नि सम्बन्धी सावधानियां जो ऐसे स्थानों पर अपेक्षित हैं की जा रही है, प्रवेश कर सकेगा ।

जल का प्रयोग ।

16. सेवा के सदस्यों द्वारा अग्नि शमन कार्यों में प्रयुक्त जल के लिये स्थानीय प्राधिकारी, प्राईवेट या सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा ।

जल आपर्ति में अवरोध के लिये प्रतिकर का न दिया जाना ।

17. किसी क्षेत्र में, पानी की आपूर्ति का भारसाधक कोई अधिकारी पानी की आपूर्ति में ऐसे किसी व्यवधान के लिए, जो धारा 8 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की ऐसे प्राधिकार के केवल अनुपालन के कारण हुई हो, क्षति के दावे के लिए दायी नहीं होगा ।

पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता ।

18. सभी पंक्ति के पुलिस अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवा के सदस्यों की उन के कार्य निष्पादन में सहायता करें ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण ।

19. किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक-कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

20. (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिये उपबन्ध किया

जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) सेवा के सदस्यों की नियुक्ति की रीति;

(ख) सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत उनकी पंक्ति, वेतन और भत्ते, कार्य के घंटे और छुट्टी, अनुशासन को बनाये रखना तथा सेवा से हटाना भी है ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन सेवा के सदस्य और उपस्कर उन के क्षेत्राधिकार के बाहर के क्षेत्रों में कार्य करने के लिये भेजे जा सकेंगे ;

(घ) वे शर्तें जिन के अधीन सेवा के सदस्य बचाव या अन्य कार्य के लिये नियोजित किये जा सकेंगे ;

(ङ) अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील करने की रीति ;

(च) उन व्यक्तियों को जो सेवा के सदस्य नहीं हैं और अग्नि शमन के प्रयोजन के लिये कार्य करते हैं, पुरस्कार तथा पारिश्रमिक का संदाय ;

(छ) दुर्घटनाओं की स्थिति में सेवा के सदस्यों को देय मुआवजा या काम करते समय मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को देय मुआवजा;

(ज) क्षेत्र के बाहर विशेष सेवाओं पर सेवा के सदस्यों के नियोजन या किसी उपस्कर के उपयोग और उनके लिये देय फीस ;

(झ) सेवा के सदस्यों के लिये वर्दियां ;

(ञ) अग्नि शमन सेवा के सदस्यों के लिये वास सुविधा; और

(ट) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित की जानी है या की जाये ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिस में वह इस प्रकार या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जाये तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृत्ति ।

21. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से ठीक पूर्व किसी क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली कोई विधि या नियम प्रवृत्त हो जो इस अधिनियम की तत्स्थानी है तो ऐसी तत्स्थानी विधि जहां तक वह ऐसे मामले से सम्बन्धित है जिसके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, उस तारीख से निरसित हो जायेगी :

परन्तु ऐसे निरसन के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी के निम्नलिखित से सम्बन्धित साधारण उत्तरदायित्व को परिसीमित, संशोधित या कम करता है—

(क) अग्नि शमन के प्रयोजनों के लिये ऐसी जल आपूर्ति और अग्नि जल नलों की व्यवस्था करना तथा अनुरक्षण करना जैसे कि राज्य सरकार, समय-समय, पर निर्दिष्ट करे;

(ख) संकटपूर्ण व्यवसायों के विनियमन के लिये उप-नियम बनाना;

(ग) सेवा के किसी सदस्य द्वारा जब उचित ढंग से ऐसा करने को कहा जाये तो अपने कर्मचारियों में से किसी को अग्नि शमन में सहायता प्रदान करने के लिये आदेश देना; और

(घ) साधारणतया ऐसे उपाय करना जो आग लगने की सम्भावना को कम करें या आग को फैलने से रोकें ।

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 30 मई, 2000/9 ज्येष्ठ, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2000

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-5/2000-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 27-5-2000 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्याक 7) को 2000 के

अधिनियम संख्याक 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उस ...व पाठ सहित राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित
सचिव (विधि

2000 का अधिनियम संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(राज्यपाल महोदय द्वारा 27 मई, 2000 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम, 1984 (1984 का 30) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2000 है।

धारा 2 का संशोधन।

1984 का 30

2. हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (क क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और ऐसे पुनः संख्यांकित खण्ड (क क) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "भवन" से, कोई संरचना अभिप्रेत है, जो चाहे पक्की चिनाई, ईंटों, लकड़ी, गारा, धातु या अन्य सामग्री की हो; " ;

(ख) विद्यमान खण्ड (घ) को खण्ड (च च) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

(घ) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित है, —

(i) कोई व्यक्ति जो तत्समय उस भूमि या भवन, जिसके बारे में ऐसा किराया संदत्त किया जाता है या संदेय है, के स्वामी को संदत्त कर रहा है या संदत्त करने का दायी है ;

(ii) किसी स्वामी के अधिभोग में या अन्यथा उसकी भूमि अथवा भवन का उपयोग करने वाला ;

(iii) किसी भूमि या भवन के अधिभोग में अनुज्ञप्तिधारी; और

(iv) कोई व्यक्ति जो, किसी भूमि या भवन के उपयोग और अधिभोग के लिए स्वामी को नुकसानी संदत्त करने का दायी है ; " ;

(ग) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ ङ) "स्वामी" से, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिसर/भूमि का वास्तविक अधिभोगी/कब्जाधारी है;

(घ) खण्ड (च) के अन्त में आए शब्द "और" का लोप किया जाएगा, और ऐसे पुनः संख्यांकित खण्ड (चच) के अन्त में, "और" शब्द जोड़ा जाएगा।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 के अन्त में "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक जो अग्नि शमन में प्रशिक्षित हैं, सहायक अग्नि शमन सेवा के सदस्यों के रूप में माने जाएंगे।"।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में, —

(i) खण्ड (घ) में "कर सकेगा जिससे" शब्दों के पश्चात् और "उस स्थान पर" शब्दों से पूर्व "अग्नि-बम्बों को रात-दिन क्रियात्मक बनाए रखें ताकि" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खण्ड (च) के अन्त में चिह्न "।" के स्थान पर, "; और" चिह्न और शब्द रखे जाएंगे तथा तत्पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (छ) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) जल आपूर्ति के प्रभारी अधिकारी से नगर (नगरों) के विस्तार के दृष्टिगत अग्नि-बम्बों और जल भण्डारकरण टैंकों को लगाने हेतु अधिक से अधिक स्थानों को पहचानने की अपेक्षा कर सकेगा।"।

धारा 11 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 में, "तीन मास" तथा "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "एक वर्ष" और "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11-क का अन्तःस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 11-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"**11-क. कम्पनियों द्वारा अपराध.**—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या

अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से, कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" से, उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।"।

धाराएं 12-क, 12-ख और 12-ग का अन्तःस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 12-क, 12-ख और 12-ग अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"**12-क. अपराध का संज्ञान.**—कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की शिकायत पर या प्राप्त सूचना के सिवाए, किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

12-ख. अधिकारिता.—प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

12-ग. अधिकारी का लोक सेवक होना.—इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।"।

धारा 15-क का अन्तःस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 15-क रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**15-क. अनापत्ति प्रमाण-पत्र.**—15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों, विस्फोटकों और अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थों में व्यवहार करने वाले या का उपयोग करने वाले औद्योगिक इकाईयों और वाणिज्यिक स्थापनों के बारे में सभी भवन-प्लानों (नक्शे) के लिए, सम्बद्ध प्रभागीय अग्नि शमन अधिकारी या स्टेशन अग्नि शमन अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर, यथास्थिति, निदेशक, अग्नि शमन सेवा अथवा मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।"।